सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 09.07.2026

- **सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील/अशोभनीय सामग्री प्रसारित करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 आईफोन मोबाइल (घटना में प्रयुक्त) बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक अपराध इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में जनपद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर महिलाओं एवं बालिकाओं की गरिमा के विरुद्ध आपत्तिजनक/अश्लील सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना साइबर क्राइम पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना साइबर क्राइम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से महिलाओं/नाबालिगों से संबंधित अश्लील वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। प्राप्त सूचना पर तत्काल सक्रिय होकर थाना साइबर क्राइण पुलिस द्वारा आवश्यक तकनीकी एवं स्थानीय स्तर पर जांच-पड़ताल की गई तथा आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **अभियुक्त तरुण कुमार पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी नगला बाबू थाना बसरेहर जनपद इटावा** को अकबरपुर सीएचसी चौराहा बसरेहर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त **01 आईफोन मोबाइल** बरामद किया गया।

पुलिस पूछताछ का विवरणः-

पकड़े गये अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने एवं अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से महिलाओं/बालिकाओं से संबंधित अश्लील सामग्री अपलोड करता था।

थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 50/2026 धारा 77/294 बीएनएस एवं 67A आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. तरुन कुमार पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी नगला बाबू हरनारायन थाना बसरेहर जनपद इटावा **उम्र करीब 21 वर्ष।**

अभियोग का विवरणः-

1. मु0अ0सं0 50/2026 धारा 77/294 बीएनएस व 67A आईटी एक्ट अधिनियम थाना बसरेहर जनपद इटावा।

बरामदगीः-

01 आईफोन मोबाइल **(घटना में प्रयुक्त)**

पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री राघवेन्द्र तिवारी थाना साइबर क्राइम, उ0नि0 लोकेश कुमार, हे0का0 विजय कुमार, का0 मनीष कुमार, का0 बृजेश गोला, का0 पंकज सिंह, का0 आदित्य देओल, चालक का0 शिव कुमार।

नोट- इटावा पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर महिलाओं एवं बालिकाओं की गरिमा के विरुद्ध अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी वैधानिक कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध है।